

२४ $\frac{6}{२२}$

प्राची अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण
के मूलवाद का निस्तारण हो चुका
है। अब इस पत्रावली में कोई
कायवाही अपेक्षित नहीं है। प्राची
का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा २१२
RTA इसी स्तर पर खारिज किया
जाकर प्रकरण में जारी दिनांक
१७/१०/२०१६ की अस्थापनी निवेधास्ता
की निरस्त की जाती है। पत्रावली
निर्णीत होकर गूम्बर से कम होकर
माखिल वकूत हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री कटवापुर